निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 214) पटना, बुधवार, 24 मार्च 2021

fof/k foHkkx

अधिसूचना
24 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–09/2021–2051/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 24 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

[fcgkj vf/kfu;e 03] 2021]

fcgkj fo'ks"k l'kL= iqfyl vf/kfu;e] 2021

çLrkoukA& बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007) 30 मार्च, 2007 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और राज्य में प्रभावी है;

और जबकि, उक्त अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व राज्य की पुलिस सेवाएँ पुलिस अधिनियम, 1861 एवं उसके अधीन बनाये गए नियमों से शासित थी और बिहार सैन्य पुलिस, बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम, 1892, यथा बिहार राज्य में लागू, और उसके अधीन बनाये गए नियमों से शासित थी;

और जबकि, बिहार तीव्रता से विकसित होता राज्य है, जिसे औद्योगिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, हवाई अड्डो, मेट्रो रेल आदि की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य के वृहत्तर हित में एक बहुज्ञानक्षेत्रीय कुशलता वाले सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता है;

और जबकि, बिहार की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को एक समर्पित, कुशल प्रशिक्षित और पूर्णतः सुसज्जित सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता है;

और जबकि, बिहार सैन्य पुलिस की भूमिका एवं उसका पृथक संगठनात्मक ढ़ाँचा को देखते हुए, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, इसकी विशेष सशस्त्र पुलिस के रुप में अलग पहचान बनाए रखना आवश्यक है;

अतः, एक बहुज्ञानक्षेत्रीय विशेष सशस्त्र पुलिस बल के गठन, संगठनात्मक विकास और बेहतर विनियमन का उपबंध करना समीचीन है ।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। –

laf{kIr uke] foLrkj ,oa çkjEHkA&

1- (1) यह अधिनियम बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

ifjHkk"kk,¡A&

2- इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) Þvf/kfu;eß से अभिप्रेत है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021

(ii) ÞlfØ; lsokß इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में, "सक्रिय सेवा" से अभिप्रेत है, विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी को शत्रु समूहों अथवा क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सौंपा गया कोई कर्तव्य अथवा ऐसा कर्तव्य जिसमें वह संलग्न हो; और किसी भी अवधि के दौरान ऐसे विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी की किसी खतरनाक अपराधी अथवा वास्तविक अथवा संभावित शांति भंग होने से निपटने के लिए की गई प्रतिनियुक्ति; और किसी भी अवधि के दौरान, ऐसी व्यस्त रहने की स्थिति, जिसे किसी भी प्रवर अधिकारी के आदेश से सक्रिय सेवा निर्धारित किया जाय।

(iii) Þmi&lekns"Vkß वाहिनी के समादेष्टा के "द्वितीय अधिकारी" होगें और ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा विशेष सशस्त्र पुलिस का उप–समादेष्टा नियुक्त किया गया हो;

(iv) Þokfguhß से अभिप्रेत है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की ऐसी इकाई जिसे सरकार द्वारा वाहिनी के रूप में गठित किया गया है;

(v) Þlekns"Vkß से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति जिनको सरकार द्वारा विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का समादेष्टा नियुक्त किया गया हो और इसमें जिला पुलिस का प्रभारी पुलिस अधीक्षक भी सन्निहित है;

(vi) Þljdkjß से अभिप्रेत है, बिहार की राज्य सरकार;

(vii) Þvf/kfulpukß से अभिप्रेत है, सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(viii) Þfofgrß से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम;

(ix) Þojh; inkf/kdkjhß से अभिप्रेत है, कोई पुलिस पदाधिकारी जिनको विशेष सशस्त्र पुलिस में अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया हो;

(x) Þfo'ks"k l'kL= iqfyl vf/kdkjhß से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम की अनुसूची II में कथन पर हस्ताक्षर किए हैं और जो इस अधिनियम की अनुसूची III में वर्णित पुलिस अधिकारियों के किसी वर्ग से संबंधित है और कोई ऐसा अन्य अधिकारी जिसे अधिसूचित किया जाएगा;

(xi) Þfofufn"V izfr"BkuÞ से अभिप्रेत है, कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम; महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान, और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि, जिसे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए;

(xii) "çoj" अधिकारी से विशेष सशस्त्र पुलिस के संबंध में अभिप्रेत है, कोई ऐसा अधिकारी जिसे उस अधिकरी से उच्चतर पंक्ति के अधिकारी के रूप में विहित किया गया हो;

(xiii) Þfo'okl djus dk dkj.kÞ] Þvkijkfèkd cyÞ] ÞgeykÞ] ÞdiViwoZdÞ vkSj ÞLoSPNk ls migfr dkfjrÞ शब्दों और अभिव्यक्तियों का अभिप्रेत है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में निर्दिष्ट है।

fo'k"k l'kL= iqfyl dk xBu%&

3- (1) राज्य की एक सशस्त्र पुलिस होगी, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कही जायेगी, जो लोक–व्यवस्था का संधारण, उग्रवाद से मुकाबला, विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों की बेहतर संरक्षा एवं सुरक्षा, इस तरह सुनिश्चित करेगी, जैसा कि अधिसूचित हो, और साथ ही ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए।

(2) विशेष सशस्त्र पुलिस को एक या अधिक वाहिनियों में इस तरह से और ऐसी अवधि के लिए गठित की जायेगी, जैसा कि विहित हो ।

(3) इस अधिनियम के आरंभ के समय विद्यमान बिहार सैन्य पुलिस वाहिनियों को इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा और इसके पश्चात् उन्हें इस अधिनियम की अनुसूची I में यथा वर्णित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी कहा जाएगाः

परन्तु सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी वाहिनी को इसमें से संशोधित, जोड़ या हटा सकेगी।

fo'k"k l'kL= iqfyl dk vèkh{k.k] lekns'ku vkSj ç'kklu%&

4- (1) विशेष सशस्त्र पुलिस का सामान्य अधीक्षण सरकार में निहित होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगी। विशेष सशस्त्र पुलिस की कमान, पर्यवेक्षण और प्रशासन पुलिस महानिदेशक, बिहार में निहित होगी, जो बिहार राज्य पुलिस बल के प्रमुख हैं।

(2) पुलिस महानिदेशक, बिहार, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन, विशेष सशस्त्र पुलिस के प्रमुख के रूप में नियुक्त महानिदेशक/अपर महानिदेशक/ अन्य कोटि के पुलिस पदाधिकारी, की सहायता से करेगें।

(3) सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस में ऐसी संख्या में महानिरीक्षकों, उप–महानिरीक्षकों, समादेष्टाओं और ऐसे अन्य पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जैसा कि अधिसूचित हों।

(4) विशेष सशस्त्र पुलिस में नियुक्त वरीय पदाधिकारी ऐसे शक्ति एवं कर्तव्य का प्रयोग करेंगे, जैसा कि विहित हों।

fo'k"k l'kL= iqfyl vfèkdkfj;ksa dh Js.kh vkSj xzsM%&

5- (1) विशेष सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों का पदसोपान वह होगा, जो अधिनियम की अनुसूची III में वर्णित हो :

परन्तु सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची में किसी पद को जोड़ या हटा सकेगी।

(2) ऐसे सशस्त्र पुलिस अधिकारी, जो इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को पदधारित हैं, को इस अधिनियम के अधीन विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी में नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

fo'k"k l'kL= iqfyl vfèkdkfj;ksa dk ukekadu ,oa mudh inP;qfr%&

6- (1) किसी व्यक्ति को विशेष सशस्त्र पुलिस में नियुक्ति के पूर्व, अनुसूची II में दिए गए कथन को समादेष्टा या उप–समादेष्टा की उपस्थिति में पढ़ कर सुनाया जाएगा और, यदि आवश्यक हो, तो उसे समझाया जाएगा और उसे ऐसा पढ़ कर सुनाए जाने की पावती के रूप में उसके द्वारा कथन को हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अधिनियम के तहत उसके द्वारा हस्ताक्षरित कथनानुसार शर्तों को छोड़कर, बल से स्वेच्छापूर्वक पदच्युत के हकदार नहीं होगें।

fcuk okj.V fxj¶rkj djus dh 'kfDr%&

7- (1) कोई भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जवाबदेही होने पर, बिना वारण्ट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है –

(i) जो ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को या उसे या किसी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी को, ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में या ऐसे विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन में, जैसा भी मामला हो, या ऐसे विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या

रोकने के इरादे से, या इस तरह के विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्य के विधिवत निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी प्रयास के परिणाम में स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करता है या स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करने प्रयास करता है, या सदोष अवरोध करता है या सदोष अवरोध का प्रयास करता है या हमला करता है, या हमला करने का प्रयास करता है, या हमले का भय दिखाता है; या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की धमकी देता है, या प्रयोग करने का प्रयास करता है;

(ii) जिसका सम्बद्ध या जिसके विरूद्ध सम्बद्धता का एक उचित संदेह उत्पन्न होता हो, या जो अपनी उपस्थिति को छुपाने के लिए सावधानी बरतता पाया जाय, जिन परिस्थितियों से यह मानने का कारण हो, कि वह ऐसी सावधानी संज्ञेय अपराध करने के लिए बरत रहा है, जो संज्ञेय अपराध किसी विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान की सम्पत्ति से या परिसर में रखी सम्पत्ति से संबंधित हो ।

(iii) जो संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है, जिससें किसी भी विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से संबंधित किसी भी कार्य को करने में लगे किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरा है या हो सकता है ।

(2) यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान स्थान के परिसर में अनधिकृत प्रवेश किया पाया जाता है, तो किसी भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी द्वारा, कोई भी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह के बिना, जो उसके खिलाफ की जा सकती है, ऐसे परिसर से हटा दिया जा सकता है।

fcuk okjUV rykf'kh yus dh 'kfDr%&

8- (1) जब भी किसी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी, जो अधिसूचित पंक्ति से अन्यून है, के पास यह मानने का कारण है कि धारा 7 में उल्लिखित कोई अपराध घटित हुआ है या घटित किया जा रहा है और यह कि तलाशी वारंट अपराधी के भागने या साक्ष्य छुपाने के अवसर दिये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह अपराधी को निरूद्ध कर सकता है और उसके शरीर और उसके वस्तुओं की तुरन्त तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराध किया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अन्तर्गत तलाशियों से संबंधित प्रावधान, जहॉ तक हो, इस धारा के अन्तर्गत तलाशियों पर लागू होगें।

fxj¶rkjh ds i'pkr~ vuqlj.k dh tkus okyh çfØ;k%&

9- इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी, अनावश्यक विलंब के बिना, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ, निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा ।

fo'ks"k l'kL= iqfyl ds ojh; inkf/kdkjh ds fo'ks"kkf/kdkj%&

10- विशेष सशस्त्र पुलिस के प्रमुख में नियुक्त महानिदेशक/अपर महानिदेशक/ अन्य पंक्ति के पुलिस पदाधिकारी एवं विशेष सशस्त्र पुलिस के अन्य पदाधिकारी सहित, महानिरीक्षक, उप–महानिरीक्षक , समादेष्टा एवं उप–समादेष्टा, सभी विशेषाधिकारों के हकदार होगें, जो कि एक पुलिस अधिकारी को बिहार पुलिस अधिनियम, 2007, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और वर्तमान में लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत प्राप्त है।

t?kU; vijk/kksa ds fy, nM%&

11- कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी, जो –

(क) किसी भी विद्रोह या देशद्रोह की शुरुआत करता है, उसे उत्तेजित करता है, कारित करता है, या उसमें सम्मिलित होता है या किसी भी विद्रोह या देशद्रोह के समय उपस्थित होते हुए उसे दबाने के लिए अपना भरसक प्रयास नहीं करता है, या, किसी भी विद्रोह के विधमानता या इरादे के बारे में जानते हुए या विद्रोह का विश्वास करने के कारण रखते हुए देरी किए बिना अपने समादेशाधिकारी या अन्य प्रवर अधिकारी को जानकारी नहीं देता है; या

(ख) चाहे वह ड्यूटी पर हो या न हो, अपने प्रवर अधिकारी पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या करने का प्रयास करता है या उस पर हमला करता है; या

(ग) लज्जास्पद रूप से किसी गैरिसन, किले, चौकी या गार्ड, जो उसके प्रभार में है या जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है, को परित्यक्त करता है या सुपुर्द करता है ; या

(घ) राज्य के विरूद्ध शस्त्र उठाने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पत्र व्यवहार करता है, या उसकी सहायता करता है या उसे राहत देता है या ऐसे किसी पत्र

व्यवहार को, जो उसकी जानकारी में आता है, अपने समादेशाधिकारी या अन्य प्रवर अधिकारी को तत्काल प्रकट करने में लुप्त करता है; या

lfØ; lsok ds nkSjku tks &

(ड.) अपने प्रवर अधिकारी के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करता है; या

(च) सेवा का अभित्यजन करता है; या

(छ) संतरी होते हुए, अपने पदस्थान पर सो जाता है, या नियमित रूप से अवमुक्त हुए या छुट्टी के बिना उसको छोड़ देता है; या

(ज) अपने समादेशाधिकारी या अपने पदस्थान या दल को लूट–पाट की तलाश में बिना आदेश छोड़ देता है; या

(झ) नियमित रूप से अवमुक्त हुए या छुट्टी के बिना अपनी गार्ड, पिकेट, दल या गश्ती दल को छोड़ देता है; या

(ञ) कैम्प या क्वार्टरों में खाद्य सामग्री या अन्य आवश्यक वस्तुएँ लाने वाले किसी व्यक्ति के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या उस पर हमला करता है, या किसी संरक्षण गार्ड से जबरदस्ती करता है या बिना आदेश के किसी गृह या अन्य स्थान में लूट–पाट के लिए प्रवेश करता है या, किसी प्रकार की सम्पत्ति की लूट–पाट करता है, या उसे नष्ट करता है या उसे हानि पहुँचाता है; या

(ट) किसी कार्रवाई के दौरान, कैम्प, गैरिसन या क्वार्टरो में, जानबूझकर झूठी चेतावनी को कारित करता है या फैलाता है;

को, आजीवन कारावास या कम–से–कम सात वर्ष की अवधि के कारावास या ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी सकती है, जो चौदह वर्ष तक बढ़ सकती है, या सजा अथवा कारावास के अतिरिक्त इस धारा के अधीन तीन महीने के वेतन या उस सीमा तक का जुर्माना, जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है

vU; t?kU; vijk/kksa ds fy, n.M%&

12- कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी जो –

(क) किसी ड्यूटी या परेड या प्रगमन पथ पर रहते हुए नशे की हालत में रहता है; या

(ख) किसी संतरी पर आघात करता है या उस पर बल का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) किसी गार्ड, पिकेट या गश्ती दल का समादेशन करते हुए अपने भारसाधन में यथाविधि सुपुर्द किये गए किसी बंदी को लेने से इंकार करता है या अपने भारसाधन में रखे गए किसी बंदी को उचित प्राधिकार के बिना निर्मुक्त करता है या उपेक्षापूर्वक ऐसे किसी बंदी को भागने देता है ; या

(घ) गिरफ्तारी या परिरोध मे होते हुए विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा मुक्त किए जाने से पूर्व अपनी गिरफ्तारी या परिरोध से चला जाता है; या

(ड़) अपनी ड्यूटी के निष्पादन में अपने प्रवर अधिकारी के प्रति अत्यधिक अवज्ञाकारी या धृष्टता का व्यवहार करता है; या

(च) क्वार्टरों या फील्ड में किए जाने के लिए आदिष्ट किसी फील्ड कार्य या अन्य किसी प्रकार के कार्य करने में अधीक्षण करने या उसमे सहायता करने से इंकार करता है, या

(छ) किसी भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी, जो उससे पंक्ति या पद में अधीनस्थ है, उसे आघात पहुँचाता है या उसका अन्यथा दुरुपयोग करता है, या

(ज) किसी भी पोस्ट अथवा कूच के समादेशन के दौरान, शिकायत प्राप्त होने पर कि उसकी समादेशन के अधीन किसी ने किसी व्यक्ति को पीटा है, या अन्यथा प्रताड़ित या उत्पीड़ित किया है या बलवा अथवा अनधिकृत प्रवेश किया है और ऐसी शिकायत के सत्यता के प्रमाण पर, घायल व्यक्ति को जहाँ तक संम्भव हो उचित प्रतिपूर्ति और मामले को उचित प्राधिकार को प्रतिवेदित करने में विफल रहता है; या

(झ) अपने आयुद्धो, वस्त्रादि, औजारों, उपस्करों, गोलाबारुद या साज–सज्जा, या विशेष सशस्त्र पुलिस की आवश्यक वस्तुएं या अन्य किन्ही वस्तुओं को जो उसको सौपी गई हो या किसी अन्य व्यक्ति की हो, परिकल्पनापूर्वक या उपेक्षा से क्षति पहुँचाता है, या खोता है, या कपटपूर्वक व्ययन कर देता है; या

(ञ) किसी रोग या अशक्तता का बहाना करता है या अपने में बीमारी या दुर्बलता पैदा करता है, या जान बुझकर रोगमुक्त होने में देरी करता है, या अपनी बीमारी या दुर्बलता को और बढ़ाता है; या

(ट) अपने आप को या अंन्य किसी व्यक्ति को सेवा के लिए अयोग्य कर देने के इरादे से स्वंय को या उस व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करता है; या

सक्रिय सेवा में नही रहने के दौरान, जो

(ठ) अपने प्रवर अधिकारी के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करता है; या

(ड) किसी प्रकार की संपत्ति की लूट–पाट करता है या उसे नष्ट करता है; या

(ढ) सेवा का अभित्यजन करता है;

को एक वर्ष अवधि तक के कारावास की सजा, या तीन महीने के वेतन तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है।

y?kq nM%&

13- (1) समादेष्टा या उप–समादेष्टा या निरीक्षक (सशस्त्र) से अन्यून कोई पदाधिकारी जो की किसी अलग टुकड़ी या कोई पुलिस चौकी के समादेशन में हो या समादेष्टा या उप–समादेष्टा की अनुपस्थिति के दौरान, वाहिनी मुख्यालय के समादेशन में हो, के द्वारा विधिवत विचारण के बिना, किसी भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी जो उनके प्राधिकार के अंर्तगत हो, को अनुशासन के विरुद्ध कोई लघु दोष, जो कि इस अधिनियम के अंर्तगत प्रावधानित न हो अथवा जो कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष अभियोजन पर्याप्त गंभीर प्रकृति का ना हो, के लिए निम्नलिखित दंडों में से कोई भी दंड दे सकेगा यानि –

(क) इसकी निरंतरता के दौरान क्वाटर–गार्ड अथवा किसी अन्य स्थान जिसे उपयुक्त समझा जाए, में सात दिनों तक का कैद एवं सभी वेतन एवं भत्ते का समपहरण;

(ख) क्वाटर में परिरोध अथवा परिरोध के बिना तीस दिनों की अवधि से अनाधिक दंड ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, फटिग या अन्य डियुटी;

(2) इन दंडों में से किसी एक दंड को अलग से या किसी दंड के साथ या दूसरों के मिलान मेल में दिया जा सकता है।

vU; fofèk;ksa ds vèkhu vfHk;kstu ls 0;kofÙk%&

14- इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है कि, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन, किसी दंडनीय कार्य या लोप के लिए अभियोजित किए जाने से किसी व्यक्ति को निवारित नहीं करेगी।

परन्तु किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा ।

U;k;ky; }kjk vijk/k dk laKku yus dh izfØ;k%&

15- इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं लेगा जब आरोपित व्यक्ति एक विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी है, सिवाय ऐसे अपराध से गठित तथ्यों की लिखित रिर्पोट एवं सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी पर।

fo'ks"k l'kL= iqfyl ds lekns"Vk dh] fo'ks"k l'kL= iqfyl ls vU;Fkk] vuq'kklfud ,oa vU; 'kfDr;k%&

16- ऐस नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार इस निमित अधिसूचित कर सकती है, विशेष सशस्त्र पुलिस के समादेष्टा को, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा –3 के अधीन गठित बिहार पुलिस बल में नियुक्त पुलिस अधिकारियों, जो विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी नहीं हैं, के संबंध में वही अनुशासनात्मक शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उनके संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को प्राप्त होती है। इस प्रकार बनाये गये नियमों में ऐसी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित हो सकेगी और ये नैसर्गिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।

fo'ks"k l'kL= iqfyl ds lnL;ksa ds dk;ksZa ds fy, laj{k.k%&

17- विशेष सशस्त्र पुलिस के किसी सदस्य द्वारा सक्षम प्राधिकार के आदेश के अनुसरण में किये गये कृत्य से उसके विरूद्ध किसी वाद या कार्यवाहियों में उसके लिए यह अभिवचन करना विधिसम्मत होगा कि उसके द्वारा ऐसा कृत्य प्राधिकार के ऐसे आदेश के अधीन किया गया था।

fu;e cukus dh 'kfDr%&

18- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारियों के लिए निम्नलिखित मामलों में नियम बना सकेगी, अर्थात् :––

(क) भर्ती, श्रेणी एवं ग्रेड, सेवा शर्ते, वेतन एवं भत्ते, सेवांतीय लाभ एवं इससे संबंधित मामले;

(ख) अनुशासन एवं आचार;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न आपराधिक वाद में न्यायिक हिरासत में लेने हेतु, ऐसे वाद में गिरफ्तार/सिद्धदोष व्यक्तियों के परिरुद्ध हेतु कारागार विनिर्दिष्ट करने के लिए, और ऐसे आपराधिक वादों के निष्पादन हेतु ,

(3) जब तक इस अधिनियम के अधीन इस संबंध में नियम नही बना लिए जाते हैं, बिहार एवं उड़ीसा मिलिट्री पुलिस हस्तक, 1933 के विद्यमान प्रावधान और सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत किये गये नियम, विनियम, आदेश आदि, उस हद तक प्रवृत रहेंगे जहॉ तक वे इस अधिनियम के उपबंधो के विरोध मे नहीं हो।

lnu d le{k fu;e dk j[kk tkuk%&

19- (क) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गये सभी नियम उनके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे, जब वह सत्र में हो; जिसकी कुल अवधि तीस दिन रहेगी, जो कि एक या एक से अधिक उत्तरोत्तर सत्र में पूरी हो सकेगी। यदि विधान मंडल उस नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हो जाएं या विधान मंडल नियम नहीं बनाये जाने के लिए सहमत हो जाए, तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे संशोधित रुप में ही प्रभावी होगा, या इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जैसा भी हो।

तथापि ऐसे किसी संशोधन या निष्प्रभाव का, उस नियम के अंतर्गत किये गये किसी भी कार्य की वैधता पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

vkn'k fuxr dju dh 'kfDr%&

20- पुलिस महानिदेशक, बिहार, जो पुलिस बल के प्रमुख है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य के निष्पादन हेतु, समय–समय पर आदेश निर्गत कर सकेगें जो कि इस अधिनियम एवं इसके अतंर्गत बनाए गए नियम से सुसंगत हो।

bl vfèkfu;e d micèk vU; fofèk;k ij vf/kHkkoh%&

21- (1) इस अधिनियम के उपबंध, किसी अन्य तत्समय प्रवृत विधि में अंतर्विष्ट या ऐसे विधि की किसी प्रभावी लिखत के होने से असंगत होते हुए भी, अधिभावी होगें।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ पर, किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना या आदेश में बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम, 1892 का संदर्भ होने पर उसको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 का संदर्भ माना जायेगा।

dfBukÃ;k dk nj dju dh 'kfDr%&

22- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कठिनाईयों को दूर करने के लिए, इस अधिनियम से असंगत न होने वाले, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होते है ,

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र बनाए जाने के पश्चात्, राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन मे अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) में उपबंधित अनुसार, रखा जाएगा ।

fujlu ,o 0;kofÙk%&

23- (1) बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम, 1892 (1892 का V), बिहार राज्य में यथालागू, का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई कार्रवाई, ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के तदनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या कार्रवाई समझी जाएगी, जब तक कि ऐसा कार्य या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, और तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य या कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित नहीं की जाती।

vu|l|ph I

[èkkjk 3¼3½ n[k]

इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान बिहार सैन्य पुलिस वाहिनी निम्नानुसार जानी जाएगी।

1. बिहार सैन्य पुलिस –1 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–1 कही जाएगी।
2. बिहार सैन्य पुलिस–2 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –2 कही जाएगी।
3. बिहार सैन्य पुलिस–3 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –3 कही जाएगी।
4. बिहार सैन्य पुलिस–4 (आईआरबी–1) को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–4 कही जाएगी।
5. बिहार सैन्य पुलिस–5 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –5 कही जाएगी।
6. बिहार सैन्य पुलिस–6 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –6 कही जाएगी ।
7. बिहार सैन्य पुलिस–7 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –7 कही जाएगी।
8. बिहार सैन्य पुलिस–8 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –8 कही जाएगी।
9. बिहार सैन्य पुलिस–9 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –9 कही जाएगी।
10. बिहार सैन्य पुलिस–10 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –10 कही जाएगी।
11. बिहार सैन्य पुलिस–11 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –11 कही जाएगी।
12. बिहार सैन्य पुलिस–12 (आईआरबी–2) को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –12 कही जाएगी।
13. बिहार सैन्य पुलिस–13 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –13 कही जाएगी।
14. बिहार सैन्य पुलिस–14 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –14 कही जाएगी।
15. बिहार सैन्य पुलिस–15 (आईआरबी–3) को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –15 कही जाएगी ।
16. बिहार सैन्य पुलिस–16 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –16 कही जाएगी।
17. महिला सशस्त्र वाहिनी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला) कही जाएगी।
18. बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन को बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल कही जाएगी ।
19. अश्वारोही सैन्य पुलिस को अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस कही जाएगी।
20. विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –17 कही जाएगी।
21. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल–1 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –18 कही जाएगी।
22. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल–2 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस –19 कही जाएगी।

vu|l|ph II

dFku

[èkkjk 6 n[k]

विशेष सशस्त्र पुलिस में तीन साल तक सेवा करने के बाद, आप किसी भी समय, जब आप सक्रिय सेवा में नहीं हो, अपनी सेवामुक्ति के लिए, जिस वाहिनी में आप सेवा कर रहे हो उसके समादेष्टा को, वैसे अधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकते है, जो आपके अधीनस्थ न हो, और आपके आवेदन की तारीख से दो महीने के बाद आपको सेवामुक्ति प्रदान कर दी जाएगी, जब तक कि आपकी सेवामुक्ति से बल की रिक्तियां स्वीकृत बल के दसवें भाग से अधिक न हो जाएं; ऐसी स्थिति में आपको तब तक बने रहना होगा जब तक कि यह आपत्ति सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त नहीं कर दी जाती या हटा नहीं दी जाती। लेकिन जब आप सक्रिय सेवा में हो, आपके पास सेवामुक्ति लेने का कोई दावा नहीं रहेगा, और आपको तब तक बने रहना होगा और अपना कर्तव्य निष्पादन करते रहना होगा जब तक कि आपको विशेष सशस्त्र पुलिस में बने रहने की अनिवार्यता समाप्त नहीं हो जाती, तब आप अपना आवेदन उपरोक्त वर्णित तरीके से दे सकते हैं।

सेवामुक्ति के पश्चात पुनः भर्ती के आलोक में आपका पेंशन या सेवामुक्ति से पूर्व की सेवा से संबंधित कोई अधिकार नहीं रहेगा।

(विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उपरोक्त को पढ़ कर सुनाये जाने की पावती में उसका हस्ताक्षर)

d-[k-

मेरी उपस्थिति में क.ख. ने हस्ताक्षर किया जब मेरे द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया कि उसने अभिप्राय को समझ लिया हैं।

x-?k-

lekn"Vk ;k mi&lekn"Vk

vu|l|ph III

[ëkkjk 5¼1½ n![k]

विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी निम्नलिखित श्रेणी के होंगे, जिनके पदानुक्रमानुसार पंक्ति का विवरण निम्नवत् है और इसमें विहित समकक्ष पंक्ति भी सम्मिलित हैं।

1. प्रमुख निरीक्षक (सशस्त्र)
2. निरीक्षक (सशस्त्र)
3. रिसालदार
4. अवर निरीक्षक (सशस्त्र)
5. सहायक अवर निरीक्षक (सशस्त्र)
6. हवलदार
7. सिपाही
8. बिगलर

पी०सी० चौधरी,
ljdkj d! lfpoA

---

24 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–09/2021&2052@y!t—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को अनुमत fcgkj fo'k"k l'kL= i!fyl vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 03] 2021½ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky d! vkn!'k l!]
पी०सी० चौधरी,,
ljdkj d! lfpoA

[Bihar Act 03, 2021]

BIHAR SPECIAL ARMED POLICE ACT, 2021

AN

ACT

PREAMBLE:- Whereas the Bihar Police Act 2007 (Bihar Act 7 of 2007) was published in the official gazette on 30th March 2007 and is operative in the State;

And whereas prior to the enactment of the said act, Police Services of the State were governed by the Police Act, 1861 and the rules framed there under and Bihar Military Police in the State was governed by Bengal Military Police Act, 1892, as applicable to the State of Bihar, and the rules framed there under.

And whereas Bihar, being a rapidly developing state requires an armed police force with multi-domain expertise to meet requirements of industrial security, security of vital installations, airports, metro rail etc in larger interest of the State;

And whereas, the internal security of Bihar needs to be strengthened through a dedicated, well trained and fully equipped armed police force of the state.

And whereas, keeping in view the role of Bihar Military Police and its distinct organizational structure, it is necessary that its separate identity should continue to be maintained as a Special Armed Police to achieve the above objectives;

Therefore, it is expedient to make provision for the constitution, organized development and better regulation of a multi-domain Special Armed Police Force

Be it enacted by the Legislature of State of Bihar in the seventy-second year of the Republic of India as follows:

Short Title, Extent and Commencement :-

1. (1) This Act may be called the Bihar Special Armed Police Act, 2021.
   (2) It extends to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of Publiction in official gazette.

Definitions :-

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-
   (i) ***"Act"*** means the Bihar Special Armed Police Act, 2021.
   (ii) ***"Active service"*** in relation to a person subject to this Act, means any duty assigned to or engaged in by a Special Armed Police officer against hostile groups or other persons in the field and includes any period during which such Special Armed Police Officer is deputed to deal with any dangerous criminal or any actual or apprehended breach of the peace and any period, the engagement during which, is specified to be an active service by an order of any superior officer in this behalf.
   (iii) ***"Deputy Commandant"*** shall be "Second-in-Command" to the Commandant of the Battalion and means a person appointed by the Government to be Deputy Commandant of the Special Armed Police.
   (iv) ***"Battalion"*** means a unit of the Bihar Special Armed Police constituted as a battalion by the Government.
   (v) ***"Commandant"*** means a person appointed by the Government to be a Commandant of the Special Armed Police Battalion and includes a Superintendent of Police in charge of the district.
   (vi) ***"Government"*** means State Government of Bihar.
   (vii) ***"Notification"*** means notification published in the official gazette of the Government.
   (viii) ***"Prescribed"*** means prescribed by rules framed by the Government under this Act;
   (ix) ***"Senior officer"*** shall mean any police officer appointed to the Special Armed Police under section 4 of the Act.
   (x) ***"Special Armed Police Officer"*** means a person appointed, under this Act, who has signed the statement in Schedule II to this Act, in accordance with the provision*s* of this Act and belongs to any of the category of police officers mentioned in schedule III of this Act and any other officer as may be notified.
   (xi) ***"Specified Establishment"*** means any industrial or commercial undertaking in public or private sector; vital installation such as airport, metro rail, power plant, place of historical and cultural importance, and any other place, installation or activity as may be notified by the Government from time to time.
   (xii) ***"Superior Officer"*** means in relation to an officer of the Special Armed Police, any officer of a rank which as prescribed is higher than that of such officer.
   (xiii) The words and expressions, ***"reason to believe", "criminal force", "assault", "fraudulently" and "voluntarily causing hurt"*** have the meanings as assigned to them in the Indian Penal code, 1860 (XLV of 1860).

Constitution of the Special Armed Police :-

3. (1) There shall be an Armed Police of the State to be called Bihar Special Armed Police, for maintenance of public order, combating extremism, ensuring the better protection and security of specified establishments in such manner as may be notified and perform such other duties, as may be notified.

(2) The Special Armed Police shall be constituted into one or more Battalions in such manner and for such period as may be prescribed.

(3) The Bihar Military Police Battalions in existence at the time of commencement of this Act shall be deemed to have been constituted under this Act and shall henceforth be called as Bihar Special Armed Police Battalions as mentioned in Schedule I to this Act;

Provided that the Government may, by notification, modify, add or delete any Battalion, for the purposes of this Act.

Superintendence, Command and Administration of Special Armed Police :-

4. (1) The general superintendence of the Special Armed Police shall vest in and be exercised by the Government. The command, supervision and administration of the Special Armed Police shall vest in the Director General of Police, Bihar, who is the head of the Police force of the State.

(2) The Director General of Police, Bihar shall, in the discharge of his duties under this Act, be assisted by the Director General/ Additional Director General/such other rank police officer, who is appointed as head of the Special Armed Police.

(3) The Government shall appoint to the Special Armed Police such number of Inspectors General, Deputy Inspectors General, Commandants and such other rank police officers, as may be notified.

(4) The Senior officers appointed to the Special Armed Police shall exercise such powers and duties as may be prescribed.

Classes and Grades of Special Armed Police Officers :-

5. (1) The hierarchy of the Special Armed Police Officers shall be as mentioned in Schedule III of the Act;

Provided that the government may, by notification, add or delete any of the posts in the said Schedule.

(2) Military Police Officers who are continuing in office on the date of commencement of this Act, shall be deemed to have been appointed as Special Armed Police Officers under this Act.

Enrolment and Discharge of Special Armed Police Officers :-

6. (1) Before any person is appointed to the Special Armed Police, the statement in Schedule II shall be read and, if necessary, be explained to him in the presence of Commandant or Deputy Commandant and shall be signed by him in acknowledgement of its having been so read to him.

(2) Special Armed Police Officer shall not be entitled to be voluntarily discharged from the Force, except in accordance with the terms of the statement which he has signed under this Act.

Power to arrest without warrant :-

7. (1) Any Special Armed Police Officer, while being entrusted with the security of specified establishment may without any order from a Magistrate and without a warrant, arrest —

(i) any person who voluntarily causes hurt to, or attempts voluntarily to cause hurt to, or wrongfully restrains or attempts wrongfully to restrain or assaults, threatens to assault, or uses, or threatens or attempts to use, criminal force to any employee of such specified establishment, or to him or any Special Armed Police Officer, in discharge of his duty as such employee or in execution of his duty as such Special Armed Police Officer, as the case may be, or with intent to prevent or to deter him from discharging his duty as such Special Armed Police Officer, or in consequence of anything done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his duty as such Special Armed Police Officer;

(ii) any person who has been concerned in, or against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in, or who is found taking precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing, a cognizable offence which relates to property belonging to, or in the premises of, any such specified establishment.

(iii) any person who commits or attempts to commit a cognizable offence which involves or which is likely to involve danger to the life of any person engaged in carrying on any work relating to any specified establishment.

(2) If any person is found trespassing on the premises of any specified establishment, he may, without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, be removed from such premises by any Special Armed Police Officer.

Power to search without warrant :-

8. (1) Whenever any Special Armed Police Officer, not below the notified rank, has reason to believe that any offence as is referred to in section 7 has been or is being committed and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of escaping or of concealing evidence of the offence, he may detain the offender and search his person and belongings forthwith and, if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to searches under that Code shall, so far as may be, apply to searches under this section.

Procedure to be followed after arrest :-

9. Any Special Armed Police Officer making an arrest under this Act, shall, without unnecessary delay, make over the person so arrested to a police officer, or, in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken to the nearest police station together with a report of the circumstances occasioning the arrest.

Privileges of Senior Officers of Special Armed Police as Police-officer :-

10. The Director General/Additional Director General/such other rank police officer appointed as head of the Special Armed Police and other police officers including Inspectors General, Deputy Inspectors General, Commandants and Deputy Commandants of the Special Armed Police shall be entitled to all the privileges which a police officer has under the Bihar

Police Act, 2007, the Indian Evidence Act, 1872, Code of Criminal Procedure, 1973 and any other enactment for the time being in force.

Punishment for heinous offences :-

11. A Special Armed Police Officer who -

(a) begins, excites, causes or joins in, any mutiny or sedition, or, being - present at any mutiny or sedition, does not use his utmost endeavour to suppress it, or, knowing or having reason to believe in the existence of any mutiny, or of any intention to mutiny, does not without delay give information thereof to his commanding or other superior officer; or

(b) uses, or attempts to use, criminal force to, or commits an assault on, his superior officer, whether on or off duty; or

(c) shamefully abandons or delivers up any garrison, fortress, post or guard which is committed to his charge or which it is in his duty to defend; or

(d) directly or indirectly holds correspondence with, or assists or relieves, any person in arms against the State, or omits to discover immediately to his commanding or other superior officer any such correspondence coming to his knowledge; or

Who, while in active service, -

(e) disobeys the lawful command of his superior officer; or

(f) deserts the service; or

(g) being a sentry, sleeps upon his post, or quits it without being regularly relieved or without leave; or

(h) Without authority leaves his Commanding Officer, or his post or party, to go in search of plunder ; or

(i) quits his guard, picket, party or patrol without being regularly relieved or without leave; or

(j) uses criminal force to, or commits an assault on, any person bringing provisions or other necessaries to camp or quarters, or forces a safeguard, or without authority breaks into any house or any other place for plunder, or plunders, destroys or damages any property of any kind; or

(k) intentionally causes or spreads a false alarm in action, camp, garrison or quarters ;

shall be punished with life imprisonment or for a term of not less than seven years, or with imprisonment for a term which may extend to fourteen years, or with fine which may extend to three months' pay or with fine to that extent in addition to such sentence or imprisonment, as the case may be, as may be passed upon him under this Section.

Punishment for other heinous offences :-

12. A Special Armed Police Officer who -

(a) is in a state of intoxication when on or for any duty or on parade or on the line of march; or

(b) strikes or attempts to force any sentry; or

(c) being in command of a guard, picket or patrol, refuses to receive any prisoner duly committed to his charge, or without proper authority releases any prisoner, or negligently suffers any prisoner to escape; or

(d) being under arrest or in confinement, leaves his arrest or confinement before he is set at liberty by proper authority; or
(e) is grossly insubordinate or insolent to his superior officer in the execution of his office; or
(f) refuses to superintend or assist in the making of any field-work or other work of any description ordered to be made either in quarters or in the field; or
(g) strikes or otherwise ill-uses any Special Armed Police Officer subordinate to him in rank or position; or
(h) being in command at any post or on the march, and receiving a complaint that anyone under his command has beaten or otherwise maltreated or oppressed any person, or has committed any riot or trespass, fails, on proof of the truth of the complaint, to have due reparation made as far as possible to the injured person and to report the case to the proper authority; or
(i) designedly or through neglect injures or loses, or fraudulently disposes of his arms, clothes, tools, equipments, ammunition, accoutrements or Special Armed Police necessaries, or any such articles entrusted to him or belonging to any other person; or
(j) malingers or feigns or produces disease or infirmity in himself, or intentionally delays his cure, or aggravates his disease or infirmity; or
(k) with intent to render himself or any other person unfit for service, voluntarily causes hurt to himself or any other person; or

Who, while not in active service,-
(l) disobeys the lawful command of his superior officer; or
(m) plunders, destroys, or damages any property of any kind; or
(n) deserts the service;

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to three months pay, or with both.

Minor punishment :-

13. (1) A Commandant or Deputy Commandant, or an officer not being below the rank of Inspector (Armed) commanding a separate detachment or an outpost or in temporary command at the headquarters of a Battalion during the absence of the Commandant and Deputy Commandant, may without a formal trial award to any Special Armed Police officer who is subject to his authority any of the following punishments for the commission of any petty offence against discipline which is not otherwise provided for in this Act, or which is not of a sufficiently serious nature to call for a prosecution before a Criminal Court, that is to say -
(a) imprisonment to the extent of seven days in the quarter-guard or such other place as may be considered suitable, with forfeiture of all pay and allowances during its continuance;
(b) Punishment drill, extra guard, fatigue, or other duty, not exceeding thirty days in duration, with or without confinement to quarters.

(2) Any one of these punishments may be awarded separately or in combination with anyone or more of the others.

Saving of prosecution under other laws :-

14. Nothing in this Act shall prevent any person from being prosecuted under the Bihar Police Act, 2007, or under any other enactment for the time being in force for any act or omission punishable thereunder.

Provided that no person shall be punished twice for the same offence.

Procedure for court taking cognizance of offence(s) :-

15. No court shall take cognizance of any offence under this Act when the accused person is a special armed police officer except on a report in writing of the facts constituting such offence and with the previous sanction of an officer authorised by the Government in this behalf.

Disciplinary and other powers of Commandant of Special Armed Police otherwise than in respect of Special Armed Police :-

16. Subject to such rules as the State Government may notify in this behalf, a Commandant of the Special Armed Police shall have, with respect to Police officers appointed to the Bihar Police Force constituted under Sec. 3 of the Bihar Police Act, 2007, who are not Special Armed Police Officers, the same disciplinary powers as a District Superintendent of Police has with respect to them. The rules so made may prescribe the procedure to be followed while exercising such disciplinary powers and should be based on the principles of natural justice.

Protection for the acts of members of Special Armed Police :-

17. In any suit or proceedings against any member of the Special Armed Police for any act done by him in pursuance of an order of a competent authority, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under the authority of such order.

Powers to make rules :-

18. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Government may make rules for Special Armed Police officers on the following matters, namely,

(a) Recruitment, classes and grades, conditions of service, pay and allowances, retirements benefits and matters connected therewith;

(b) Discipline and Conduct

(c) Powers and Duties of officers authorized to exercise any functions by or under this Act

(d) For taking into legal custody, for specifying the prison in which a person arrested/convicted in any such case may be confined and the disposal of criminal cases arising under this Act.

(3) Until the Rules in this regard are made under this Act, existing provisions of the Bihar and Orissa Military Police Manual, 1933, and the rules, regulations, orders etc. issued from time to time by the Government shall continue to be in force to the extent they are not in conflict with the provisions of this Act.

Rules to be laid before the House :-

19. (a) Every rule framed under this Act shall be published in the Gazette.

(b) All rules made by the State Government under this Act shall be laid as soon as may be after they are made, before each house of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days, which may be

comprised in one session or more successive sessions. If the State Legislature agrees to modify the rule or the legislature agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be;

So however that, any such modification or annulment shall be, without prejudice to the validity of anything done under that rule.

Power to issue orders :-

20. The Director General of Police, Bihar who is the head of the Police Force of the State, may in the discharge of his functions under this Act issue orders from time to time consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Provisions of this Act to override other laws :-

21. (1) The provisions of this Act shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law.

(2) References in any Act, rule, notification or order to the Bengal Military Police Act, 1892 shall, on the commencement of this Act, be construed as reference to the Bihar Special Armed Police Act, 2021.

Power to remove difficulties :-

22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of five years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, as provided in clause (b) of Section 19 of the Act.

Repeal and saving :-

23. (1) The Bengal Military Police Act, 1892 (V of 1892), as applicable to the State of Bihar, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Act, insofar as such thing or action is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and shall continue in force until superseded by anything done or any action taken under this Act.

SCHEDULE I
[See section 3(3)]

The Bihar Military Police Battalions in existence at the time of commencement of this Act are to be called as under

1. Bihar Military Police – 1 to be called Bihar Special Armed Police -1
2. Bihar Military Police – 2 to be called Bihar Special Armed Police -2
3. Bihar Military Police – 3 to be called Bihar Special Armed Police -3
4. Bihar Military Police – 4 (IRB-1) to be called Bihar Special Armed Police -4
5. Bihar Military Police – 5 to be called Bihar Special Armed Police -5
6. Bihar Military Police – 6 to be called Bihar Special Armed Police -6
7. Bihar Military Police – 7 to be called Bihar Special Armed Police -7
8. Bihar Military Police – 8 to be called Bihar Special Armed Police -8
9. Bihar Military Police – 9 to be called Bihar Special Armed Police -9
10. Bihar Military Police – 10 to be called Bihar Special Armed Police -10
11. Bihar Military Police – 11 to be called Bihar Special Armed Police -11
12. Bihar Military Police – 12 (IRB-2) to be called Bihar Special Armed Police -12
13. Bihar Military Police – 13 to be called Bihar Special Armed Police -13
14. Bihar Military Police – 14 to be called Bihar Special Armed Police -14
15. Bihar Military Police – 15 (IRB-3) to be called Bihar Special Armed Police -15
16. Bihar Military Police – 16 to be called Bihar Special Armed Police -16
17. Mahila Sashatra Vahini to be called Bihar Special Armed Police (Mahila)
18. Bihar Swabhiman Police Battalion to be called Bihar Swabhiman Special Armed Police
19. Mounted Military Police to be called Mounted Special Armed Police
20. Special India Reserve Battalion to be called Bihar Special Armed Police- 17
21. State Industrial Security Force -1 to be called Bihar Special Armed Police-18
22. State Industrial Security Force -2 to be called Bihar Special Armed Police-19

SCHEDULE II
STATEMENT
[See Section 6]

After you have served for three years in the Special Armed Police, you may, at any time when not on active service, apply for your discharge, through the officer to whom you may be subordinate, to the Commandant of Special Armed Police in which you may be serving and you will be granted your discharge after two months from the date of your application unless your discharge would cause the vacancies in the Special Armed Police to exceed one-tenth of the sanctioned strength; in that case you must remain until this objection is waived by competent authority or removed. But when on active service you have no claim to a discharge, and you must remain and do your duty until the necessity for retaining you in the Special Armed Police ceases, when you may make your application in the manner here in before.

In the event of your re-enlistment, after you have been discharged, you will have no claim to reckon for pension or any other purpose with respect to your service previous to your discharge.

(Signature of the Special Armed Police Officer in acknowledgment of the above having been read to him)

A.B.

Signed in my presence after I had ascertained that A.B. understood the purport of what he signed

C.D.
Commandant or Deputy Commandant

SCHEDULE III
[See section 5(1)]

There shall be the following classes of Special Armed Police Officer which take rank in the order mentioned below and includes any equivalent rank(s) as prescribed.

1) CHIEF INSPECTOR (ARMED)
2) INSPECTOR (ARMED)
3) RESALDAR
4) SUB-INSPECTOR (ARMED)
5) ASSISTANT SUB INSPECTOR (ARMED)
6) HAVILDAR
7) SEPOY
8) BUGLERS

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 214-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in